Seventeenth Series, Vol. XIII, No. 12

Wednesday, August 04, 2021
Sravana 13, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIII contains Nos. 11 to 17)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi

Joint Director

Maneesha Bhushan

Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 12, Wednesday, August 04, 2021/ Sravana 13, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
OBITUARY REFERENCES	11-13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 221 and 222	14-19
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 223 to 240	26-91
Unstarred Question Nos. 2531 to 2760	92-680

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 682-693

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 694,
743-744

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES
9th to 11th Reports 695

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statement 696

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
23rd Report 697

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE
299th and 300th Reports 697

STATEMENTS BY MINISTERS 698-701

(i) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 106th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Dr. Jitendra Singh 698

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Railways
Shri Danve Raosaheb Dadarao 699

(iii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on ' Army, Navy, Air Force and Joint Staff (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on 14 Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on 'Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on ' Army, Navy and Air Force (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence

Adv. Ajay Bhatt 700-701

MOTIONS RE: APPOINTMENT OF NEW MEMBERS TO THE JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2019 702-703

MATTERS UNDER RULE 377 704-729

(i) Need to construct railway line on Gaya-Rafiganj via Sherghati and Daltonganj

Shri Vishnu Dayal Ram 705

(ii) Regarding providing electronic gadgets to school children for online education in Delhi

Shri Ramesh Bidhuri 706

(iii) Regarding supply of covid-19 vaccines on scientific basis

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 707

(iv) Need to provide funds for development of Chitrakoot in Madhya Pradesh and set up a Development Board for Chitrakoot

Shri Ganesh Singh 708

(v) Regarding grievances of people displaced due to Tehri Dam Project

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 709

(vi) Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana in Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 710

(vii) Regarding flood control measures in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 711

(viii) Regarding opening of bank branches in Aspirational Districts of Odisha including Bolangir Parliamentary Constituency

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 712

(ix) Regarding irrigation projects under PMKSY in Nandurbar, Maharashtra

Dr. Heena Vijaykumar Gavit 713

(x) Regarding establishment of a Sanskrit University at Deoghar, Jharkhand

Dr. Nishikant Dubey 714

(xi) Need to construct hydro power projects and barrages on rivers flowing through Champaran, Bihar

Dr. Sanjay Jaiswal 715

(xii) Need to set up a medical college in Mahisagar district, Gujarat

Shri Ratansinh Magansinh Rathod 716

(xiii) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Teonthar and Mauganj tehsils in Rewa district, Madhya Pradesh

Shri Janardan Mishra 717

(xiv) Need to probe alleged shoddy construction work on NH-24 (Bareilly-Sahjahanpur-Sitapur) and also construct a railway overbridge and an overbridge on the National Highway

Shri Arun Kumar Sagar 718

(xv) Regarding improvement of basic facilities in CGHS Wellness Centre, Tiruchirappalli, Tamil Nadu

Shri Su. Thirunavukkarasar 719

(xvi) Regarding deaths caused by wild animal in Palakkad district, Kerala

Shri V.K. Sreekandan 720

(xvii) Regarding railway project from Kovvur to Bhadrachalam

Shri Sridhar Kotagiri 721

(xviii) Regarding bringing co-operative banks, NBFCs and FMIs under RBI PCA frame work

Shri Balashowry Vallabhaneni 722

(xix) Regarding increasing credit deposit ratio of Odisha by commercial banks operating in the State

Shri Bhartruhari Mahtab 723

(xx) Need to ensure refund to all the investors who invested their money in PACL Ltd

Kunwar Danish Ali 724-725

(xxi) Regarding availability of soyabean as a livestock feed

Shri B.B. Patil 726

(xxii) Regarding opening of a central school in Nagapattinam, Tamil Nadu

Shri M. Selvaraj 727

(xxiii) Regarding inclusion of people belonging to certain communities of Assam in the central list of Scheduled Tribes

Shri Naba Kumar Sarania 728

(xxiv) Regarding establishment of a permanent regional bench of the Supreme Court at Chennai

Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian 729

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS ORDINANCE, 2021

AND

COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS BILL, 2021 730-742

Motion to Consider 733-734

Shri Bhupender Yadav 733-742

Clauses 2 to 31 and 1 735-742

Motion to Pass 742

COCONUT DEVELOPMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2021
(*As passed by Rajya Sabha*) 745-749

Motion to Consider 745

Shri Narendra Singh Tomar 745-749

Clauses 2 to 7 and 1 746-748

Motion to Pass 748-749

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions

Member-wise Index to Unstarred Questions

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Wednesday, August 04, 2021/Sravana 13, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे आठ पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है।

श्री खेलन राम जांगड़े 8वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री जांगड़े इससे पहले वर्ष 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री खेलन राम जांगड़े का निधन 74 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल, 2021 को बिलासपुर में हुआ।

श्री सुरेन्द्र यादव 11वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सुरेन्द्र यादव गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री सुरेन्द्र यादव का निधन 78 वर्ष की आयु में 30 अप्रैल, 2021 को खलीलाबाद में हुआ।

श्री दामोदर बरकू शिंगदा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के दहानू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री शिंगदा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, याचिका संबंधी समिति और विदेशी मामलों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री दामोदर बरकू शिंगदा का निधन 66 वर्ष की आयु में 02 मई, 2021 को पालघर में हुआ।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल 13वीं और 14वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के दमन और दीव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री पटेल विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पहले वे दमन और दीव की प्रदेश परिषद के भी सदस्य रहे।

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल का निधन 76 वर्ष की आयु में 03 मई, 2021 को मुम्बई में हुआ।

श्री शिवराज सिंह लोधी 15वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री लोधी खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पहले वे दो कार्यकाल के लिए मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री शिवराज सिंह लोधी का निधन 77 वर्ष की आयु में 17 मई, 2021 को भोपाल में हुआ।

श्री बाबागौड़ा पाटील 12वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री बाबागौड़ा पाटील ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में सेवाएँ दीं। इससे पहले श्री पाटील वर्ष 1989 से 1994 तक कनार्टक विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री बाबागौड़ा पाटील का निधन 76 वर्ष की आयु में 21 मई, 2021 को बेलगावी में हुआ।

श्री जी. माडेगौड़ा 9वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने कर्नाटक के मान्डया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री माडेगौड़ा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री जी. माडेगौड़ा छह कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री जी. माडेगौड़ा का निधन 93 वर्ष की आयु में 17 जुलाई, 2021 को मान्डया में हुआ।

श्री परसराम मेघवाल 11वीं लोक सभा के सदस्य थे, जिन्होंने राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री परसराम मेघवाल परिवहन तथा पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री परसराम मेघवाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 21 जुलाई, 2021 को जालौर में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11.04 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

… (व्यवधान)

11.05hrs

At this stage S/Shri Kalyan Banerjee, Ritesh Pandey, Ravneet Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

11.06 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 221, श्री धर्मवीर सिंह ।

(Q. 221)

श्री धर्मवीर सिंह : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार में कनेक्टिविटी के नाम पर, चाहे वह रेल हो या सड़क हो, बहुत ज्यादा तेज़ी से विकास हुआ है । … (व्यवधान) इसी लिहाज़ से हरियाणा प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में दो डिमांड्स थीं। … (व्यवधान) एक रेलवे लाइन, जो कि भिवानी से लोहारु होते हुए राजस्थान जाती है। … (व्यवधान) दूसरी अलवर से नारनौल और महेन्द्रगढ़ हो कर जाती है। … (व्यवधान) दोनों डिमांड्स आज से नहीं, जब से हरियाणा प्रदेश बना है, तब से चली आ रही हैं। … (व्यवधान) इस संबंध में में कई बार सर्वे हो चुके हैं। … (व्यवधान) सर्वे में कभी फिज़िबल तो कभी नॉट फिज़िबल हो जाती है। … (व्यवधान) हरियाणा सरकार ने भी 49 पर्सेंट पैसा देने के लिए एक रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कॉर्पोरेशन सन् 2017 में बनाया है। … (व्यवधान) अब तो माननीय गडकरी जी ने एक नया रोड भी बनाया है। … (व्यवधान) जो दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर बना है, अलवर से ले कर पांच राज्यों के लिए नया ग्रीन कॉरिडोर लगभग एक साल के बाद तैयार हो जाएगा। … (व्यवधान) वह कॉरिडोर अलवर से ले कर कोठपुतली-नारनौल, महेन्द्रगढ़ और पंजाब को जाता है। … (व्यवधान) यह एक साल में तैयार हो जाएगा। … (व्यवधान) उसके तैयार होने के बाद भी दोनों साइड में जमीन फिर भी फालतू बची रहेगी। … (व्यवधान) मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि मेहरबानी कर के ये दोनों रेल लाइनें - भिवानी से लोहारु और अलवर से नारनौल, महेन्द्रगढ़ और दादरी होते हुए इसी कॉरिडोर के साथ बनायी जाए। … (व्यवधान)

महोदय, प्रार्थना यही है कि हरियाणा प्रदेश को बने हुए आज 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। … (व्यवधान) इसलिए रेल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसमें नेगेटिव जवाब देने की बजाय हमें यह आश्वासन जरूर दें कि आने वाले समय में दोनों रेलवे लाइनें बनेंगी। … (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मोदी जी के नेतृत्व में रेल और रोड का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह उनके लोक सभा मतदाता क्षेत्र में भिवानी से लोहारु रेल मार्ग से संबंधित है। … (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भिवानी रेल लाइन, हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार का 51 प्रतिशत और केन्द्र सरकार के 49 प्रतिशत शेयर के साथ बनाई गई है।… (व्यवधान) इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 519 करोड़ रुपये की है।… (व्यवधान) हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो प्रस्ताव दिया है, उसमें यह ‘अनवाएबल’ बताया गया है।… (व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : अगर हरियाणा सरकार इन दोनों रेल लाइनें - भिवानी-लोहारू रेल लाइन और महेन्द्रगढ़-नारनौल-अलवर रेल लाइन - के लिए अपना 51 प्रतिशत हिस्सा पहले ही जमा करवा देती है तो क्या आप उस पर विचार करेंगे?… (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह इस प्रश्न का भाग नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य से अलग से मिल कर इसकी जानकारी लूंगा।… (व्यवधान)

SHRI ANUBHAV MOHANTY : Thank you so much, Sir. … (*Interruptions*)

सर, मैं यहां पर केन्द्रपाड़ा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं।… (व्यवधान) हमारे क्षेत्र में आज़ादी के बाद से किसी ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी, पर हम नवीन पटनायक सर एवं केन्द्र सरकार के शुक्रगुज़ार हैं कि आज़ादी के बाद अब कम से कम वहां पर फ्रेट कारें चलने लगीं हैं।… (व्यवधान)

महोदय, मैंने इस साल के बजट सत्र में इसी सदन में 'डिमांड्स-फॉर-ग्रांट्स' पर हो रही चर्चा के दौरान पूछा था कि केन्द्रपाड़ा में पैसेंजर ट्रेनें कब चलेंगी क्योंकि वहां के लोगों की यह डिमांड है और पैसेंजर ट्रेन्स पर हमारा हक भी है, जो पूरे देश के साथ हमें कनेक्ट कर सकती हैं।... (व्यवधान) लेकिन, उसके जवाब में मुझे यह मिला कि 'Kendrapara road is at a distance of 5 kilometres from Cuttack, and that is why, Kendrapara road is operationally not feasible at present'. ... (*Interruptions*)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि केन्द्रपाड़ा रोड, जो स्टेशन बताया जा रहा है, यह कटक से पाँच किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वह केन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नहीं आता है।... (व्यवधान) केन्द्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर आज तक पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चली हैं।... (व्यवधान) वह कटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज़।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती : वहां लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन्स की सुविधा का होना बहुत जरूरी है।... (व्यवधान) वहां इसकी बहुत आवश्यकता है।... (व्यवधान) आपसे मेरी विनती है कि हमारे लोगों के हक के लिए, वहां पर रेवेन्यू जेनरेशन के लिए, वहां के युवाओं के रोजगार के लिए और केन्द्रपाड़ा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वहां एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन जल्द-से-जल्द शुरू करें।... (व्यवधान) मेरी आपसे, मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से एवं केन्द्रपाड़ा वासियों की तरफ से यह विनती है।... (व्यवधान)

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, मैं इसकी जानकारी जरूर लूंगा और इसकी सभी जानकारी उनके साथ शेयर करूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की गरिमा को बनाए रखें, यह तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बिल्कुल गलत है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत कीजिए। यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही साढ़े ग्यारह बजे तक स्थगित की जाती है।

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

11.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

11.30 ½ hrs

At this stage Sushri Mahua Moitra, Shri Hibi Eden. Adv. A.M. Ariff, Shri Gurjeet Singh Aujla, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Shrimati Harsimrat Kaur Badal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 222, श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी जी।

… (व्यवधान)

(Q. 222)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): (क) से (ग) **:** सभापति महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । … (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, पहले ही संसद की, लोक सभा की मर्यादा भंग हो रही है। उसकी कुछ सीमा भी होती है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: नहीं-नहीं, चेयर के आगे प्लेकार्ड लाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप प्लेकार्ड लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वेल में आ रहे हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सुनिए, आप माननीय सदस्य हैं, सब नियमों को जानते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: यह गलत बात है। आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि चेयर को कार्रवाई करनी पड़े। Please put it down.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please put it down. No, it is not fair. यदि सभापति या अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं तो कृपया करके आप थोड़ा पीछे हटिए। यह ठीक नहीं है। आप मर्यादा की उल्लंघन की सीमा को स्पर्श मत कीजिए। यह उचित नहीं है।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go to your seats. आप अपनी-अपनी सीट्स पर वापस जाइए। अपने स्थान पर बैठिए। अभी प्रश्नोत्तर चलने दीजिए और इस प्लेकार्ड को नीचे कीजिए।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, it is not acceptable. प्लीज, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

---

[*]WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 223 to 240

Unstarred Question Nos. 2531 to 2760)

(Page No. 26 to 680)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही बारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

11.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

12.0 ½ hrs

At this stage, Dr. Amar Singh, Shri P. R. Natarajan, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 3 से 10 तक, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री राज नाथ सिंह जी की ओर से,

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4512/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की – गई – कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक – एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 34 पांचवां सत्र, 2010

[Placed in Library, See No. LT 4513/17/21]

2.	विवरण संख्या 29	तेरहवां सत्र, 2013
		[Placed in Library, See No. LT 4514/17/21]
3.	विवरण संख्या 24	चौदहवां सत्र, 2013
		[Placed in Library, See No. LT 4515/17/21]
4.	विवरण संख्या 25	पन्द्रहवां सत्र, 2013-14
		[Placed in Library, See No. LT 4516/17/21]
		सोलहवीं लोक सभा
5.	विवरण संख्या 24	दूसरा सत्र, 2014
		[Placed in Library, See No. LT 4517/17/21]
6.	विवरण संख्या 24	तीसरा सत्र, 2014
		[Placed in Library, See No. LT 4518/17/21]
7.	विवरण संख्या 23	चौथा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4519/17/21]
8.	विवरण संख्या 20	पांचवां सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4520/17/21]
9.	विवरण संख्या 20	छठा सत्र, 2015
		[Placed in Library, See No. LT 4521/17/21]
10.	विवरण संख्या 18	आठवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4522/17/21]
11.	विवरण संख्या 17	नौवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4523/17/21]

12.	विवरण संख्या 15	दसवां सत्र, 2016
		[Placed in Library, See No. LT 4524/17/21]
13.	विवरण संख्या 15	ग्यारहवां सत्र, 2017
		[Placed in Library, See No. LT 4525/17/21]
14.	विवरण संख्या 13	बारहवां सत्र, 2017
		[Placed in Library, See No. LT 4526/17/21]
15.	विवरण संख्या 12	तेरहवां सत्र, 2017-18
		[Placed in Library, See No. LT 4527/17/21]
16.	विवरण संख्या 11	चौदहवां सत्र, 2018
		[Placed in Library, See No. LT 4528/17/21]
17.	विवरण संख्या 10	पन्द्रहवां सत्र, 2018
		[Placed in Library, See No. LT 4529/17/21]
18.	विवरण संख्या 8	सोलहवां सत्र, 2018-19
		[Placed in Library, See No. LT 4530/17/21]
19.	विवरण संख्या 7	सत्रहवां सत्र, 2019
		[Placed in Library, See No. LT 4531/17/21]
		सत्रहवीं लोक सभा
20.	विवरण संख्या 6	पहला सत्र, 2019
		[Placed in Library, See No. LT 4532/17/21]
21.	विवरण संख्या 5	दूसरा सत्र, 2019
		[Placed in Library, See No. LT 4533/17/21]

22.	विवरण संख्या 4	तीसरा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 4534/17/21]
23.	विवरण संख्या 3	चौथा सत्र, 2020 [Placed in Library, See No. LT 4535/17/21]
24.	विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 2021 [Placed in Library, See No. LT 4536/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक – एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4537/17/21]

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4538/17/21]

(तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 4539/17/21]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2807(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट सभी या किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

(दो) का.आ. 2805(अ) जो 13 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग ख में यथानिर्दिष्ट किसी दंडनीय अपराध के संबंध में लिखित में शिकायतें प्राप्त करने के लिए परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 4540/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4541/17/21]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019 – 2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2019 – 2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4542/17/21]

(4) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप – धारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (संशोधन)नियम, 2021 जो दिनांक 21 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 4543/17/21]

(5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1372 (अ) जो 26 मार्च,2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिलर्स/रिफाइनर्स/व्यापारियों द्वारा राजवित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयात की जाने वाली उड़द के 4 लाख एमटी वार्षिक कोटा को अधिसूचित करने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1858 (अ) जो 15 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तत्काल प्रभाव से और 31 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि के लिए तूर, मूंग और उड़द के लिए आयात नीति का ''प्रतिबंधित'' से ''मुक्त'' के रूप में संशोधन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 4741 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1145 (अ) जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1548 (अ) जो 11 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(छह) का.आ. 2070 (अ) जो 31 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा लाल चन्दन का निर्यात-समय विस्तार के बारे में है।

(सात) का.आ. 2103 (अ) जो 01 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एम्फोटेरिसिन-बी इंजेक्शनों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2332 (अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर और रेमडेसिविर एपीआई इंजेक्शन की निर्यात नीति में

संशोधन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2663 (अ) जो 01 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अध्याय 10, अनुसूची 2, क्रमांक 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2803 (अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान मालदीव गणराज्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 638 (अ) जो 10 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के बारे में है।

(बारह) का.आ. 656 (अ) जो 12 फरवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय-एक और अध्याय-दो के अंतर्गत आयातक-निर्यातक संहिता (आईईसी) संबंधी उपबंधों के संशोधन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1427(अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-74 और अध्याय-76 के अंतर्गत तांबे और एल्युमिनियम की आयात नीतिगत में संशोधन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1699(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (आईआईएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85167920 और 85167990 के अंतर्गत नीतिगत शर्त के समावेश और आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1700(अ) जो 26 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के एचएस कोड 12077090 के अंतर्गत अन्य के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1723 (अ) जो 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 2.25 में संशोधन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1840(अ) जो 10 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एकीकृत परिपथों (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 की निर्यात नीति के समावेश के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2608(अ) जो 28 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों के लिए निर्यात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2621(अ) जो 30 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-15 के एचएस कोड 151190 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2659(अ) जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईईसी के संशोधन की अवधि को 31.07.2021 तक आगे बढ़ाए जाने और जुलाई, 2021 के दौरान आईईसी अद्यतन किए जाने के लिए शुल्क माफ किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2783(अ) जो 12 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-48 की नीतिगत शर्तों में संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 4544/17/21]

(6) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2304(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है तथा आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

(दो) का.आ. 2305(अ) जो 14 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और 30 नवम्बर, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4545/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल जी की ओर से, मैं विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम**,** 1987 की धारा 30 की उप धारा (1) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय विधिक सेवाएं

समिति (संशोधन) नियम, 2021, जो 18 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 198 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4546/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री सोम प्रकाश जी की ओर से, मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2710 (अ) जो 6 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सीमेंट उद्योग विकास परिषद की स्थापना की गई है और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उक्त परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4547/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, एडवोकेट अजय भट्ट जी की ओर से, मैं आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं रसेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप – धारा (4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का. नि. आ. 18 जो 26 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि पेंशन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति, उसमें उल्लिखित दिशा – निर्देशों के अध्यधीन, स्पर्श में पहचान के लिए स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन का उपयोग कर सकता है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4548/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री देवुसिंह चौहान जी की ओर से, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 अंतर्गत दूर संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का 1) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. आरजी – 1/2 (3) / 2021 – बी और सीएस (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4549/17/21]

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA AND BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA*

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2021 agreed without any amendment to the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th July, 2021."

---

* Laid on the Table.

12.02 ½ hrs

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

9th to 11th Reports

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'एनएचपीसी लिमिटेड में रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 9वां प्रतिवेदन।

(2) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/ राष्ट्रीय सैनिक स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 10वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2021-22) का 11वां प्रतिवेदन।

12.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

Statement

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I beg to lay on the Table the Statement (Hindi and English versions) showing Further Action taken by the Government on the Observations/ Recommendations contained in the Fifth Report of the Committee on External Affairs on the replies to the Observations/ Recommendations contained in the First Report on 'Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2019-20'.

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

23rd Report

SHRI UDAY PRATAP SINGH (HOSHANGABAD): Sir, I beg to present the Twenty-third Report (Hindi and English versions) on 'The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021' of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2020-21).

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

299th and 300th Reports

SHRI TAPIR GAO (ARUNACHAL EAST): Sir, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

(1) Two Hundred Ninety-ninth Report on the ‘Action Taken by the Government on the Recommendations/ Observations of the Committee contained in its Two Hundred Eighty-ninth Report on Demands for Grants (2021-22) of Ministry of Culture’.

(2) Three Hundredth Report on ‘Promotion of Infrastructure in India’s Maritime Sector’.

12.04 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 106th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 106th Report of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4506/17/21

<u>12.05 hrs</u>

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Railways on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Ministry of Railways*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4507/17/21

12.05 ½ hrs

(iii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 4th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2019-20 on 'Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on ' Army, Navy, Air Force and Joint Staff (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence *

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना और संयुक्त स्टाफ (मांग संख्या 19 और 20)' के बारे में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 4508/17/21 and 4509/17/21 respectively.

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2020-21 on 'Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (demand nos. 19 & 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग संख्या 19 और 20)' के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(d) Status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Defence on Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on ' Army, Navy and Air Force (demand no. 20)' pertaining to the Ministry of Defence*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना (मांग संख्या 20)' के बारे में वर्ष 2018-19 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 4510/17/21 and 4511/17/21 respectively.

12.06 hrs

MOTIONS RE: APPOINTMENT OF NEW MEMBERS TO THE JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL, 2019

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): Sir, I rise to move:

""That this House do appoint *Thiru* Dayanidhi Maran, Dr. Satya Pal Singh and Smt. Aparajita Sarangi to the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019 in the vacancies caused by the resignation of Smt. Kanimozhi Karunanidhi from the Joint Committee and induction of Smt. Meenakashi Lekhi and Shri Ajay Bhatt to the Union Council of Ministers."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति से श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि के त्यागपत्र तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी और श्री अजय भट्ट के केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने से उत्पन्न हुई रिक्तियों पर थिरू दयानिधि मारन, डॉ. सत्यपाल सिंह और श्रीमती अपराजिता सारंगी को संयुक्त समिति में नियुक्त करती हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P. P. CHAUDHARY : Sir, I rise to move:-

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint four Members of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019 in the vacancies caused by the retirement of Prof. Ram Gopal Yadav from Rajya Sabha and

resignation of Shri Bhupender Yadav, Shri Rajeev Chandrasekhar and Shri Ashwini Vaishnaw from the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019 and communicate to this House the names of the Members so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है**:**

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा प्रो. राम गोपाल यादव की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति तथा श्री भूपेन्द्र यादव, श्री राजीव चन्द्रशेखर और श्री अश्विनी वैष्णव के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों पर वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के चार सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (<u>व्यवधान</u>)

<u>12.08 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

14.0 ½ hrs

At this stage, Shri T. N. Prathapan, Shri Kalyan Banerjee, Shri E.T. Mohammed Basheer, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

14.01 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to construct railway line on Gaya-Rafiganj via Sherghati and Daltonganj

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): पलामू जिला देश के 115 आकांक्षी जिलों में से एक है, एवं प्रगति के पथ पर पिछड़े हुए जिलो में से एक है। इसके बहुत सारे इलाके की जनता रेल की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे ही एक क्षेत्र में हरिहरगंज एवं छतरपुर, पाटन अनुमंडल का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को रेल लाइन से जोड़ने के लिए एवं यहाँ की जनता को रेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए गया रफीगंज-वाया शेरघाटी, डालटेनगंज रेल लाइन की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व दी गई थी। परंतु आज तक उक्त परियोजना पर धरातल पर काम नहीं हो सका और वह परियोजना मात्र कागजों में सिमट कर रह गयी है। रेल मंत्रालय से पता करने पर इस बात की जानकारी दी जाती है कि अर्थाभाव के चलते इस परियोजना पर अब तक कार्य नही हो सका है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में कई कोयला खदानों में उत्पादन का कार्य प्रारंभ होने वाला है जिसमें सरकारी कोयला की खदानें भी हैं एवं निजी खदानें भी।

इसके अतिरिक्त यह एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है एवं आवागमन की असुविधा रहने के चलते इन पर नियंत्रण पाने में भी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

मेरा एक सुझाव है। यदि रेल मंत्रालय को वस्तुतः राशि की कमी है तो इसकी व्यवस्था CIL एवं गृह मंत्रालय के सहयोग से भी करने के लिए विचार किया जा सकता है क्योंकि यदि ये रेल लाईन बन जाती है तो बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों को फायदा होने वाला है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया इस परियोजना (रेल लाइन) को पुनर्जीवित करने का कार्य करे।

(ii) Regarding providing electronic gadgets to school children for online education in Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान उन बच्चों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी झेल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन की जा रही है लेकिन दिल्ली में लगभग 16 lakh बच्चे दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तथा इन बच्चों के निवास गांव में, अनियमित कॉलोनी में, झुग्गी – झोपड़ी या जे. जे. कॉलोनियों में है उनमें ज्यादातर के अभिभावक दिल्ली में रोजी – रोटी कमाने, मजदूरी कर गुजारा करने आए हैं वो मोबाइल या टैब का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं तथा वहीं पिछले 2 वर्ष से दिल्ली सरकार का नए कमरे बनाना जैसा कार्य भी बंद है करोड़ों रुपए की इमारतें अब काम नहीं आ रही है इसलिए कोरोना काल के बिल्डिंग बनाने वाले फंड का उपयोग सरकार उन बच्चों को मोबाइल या टैब की व्यवस्था कराने में करे। ऐसा मेरा निवेदन है उन होनहार देश के कल का भविष्य खराब ना हो वो अपनी पढ़ाई कर सकें।

(iii) Regarding supply of covid-19 vaccines on scientific basis

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): कोरोना से बचाव के लिये टीकाकरण में इक्विटी यानी सबको बराबरी से वैक्सीन देने को लेकर भी चर्चा हो रही है। जितनी आबादी है, उसी आधार पर वैक्सीन सप्लाई कर रहे है, तो यह अवैज्ञानिक रणनीति है। दूसरी लहर में ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए, पर शहरी इलाकों में हीं ज्यादा मौते हुईं। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से वैक्सीन पहुंचाना चाहते है तो जहां संक्रमण तेजी से फैला है वहां ज्यादा वैक्सीन देनी चाहिए। सिर्फ बराबरी से वैक्सीन देने के लिये बराबरी न की जाए। इक्विटी और एफीशियंसी अलग चीजें है। शहरों में अगर 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण हो जाए तो कुल आबादी की असुरक्षा या संवेदनशीलता कम होगी। सबको बराबरी से बांटने से एक जगह वैक्सीन की मारामारी है और दूसरी जगह बच रही है या बर्बाद हो रही है। अतः जहां संक्रमण तेजी से फैला है वहां ज्यादा वैक्सीन देने की रणनीति पर काम करना चाहिये।

(iv) Need to provide funds for development of Chitrakoot in Madhya Pradesh and set up a Development Board for Chitrakoot

श्री गणेश सिंह (सतना): मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान चित्रकूट जहां भगवान श्रीराम ने 11 वर्ष अपने वनवास के बिताये थे, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राम पथ गमन अयोध्या से चित्रकूट तक सीधा सड़क मार्ग 84 कोसी परिकमा भगवान कामतानाथ परिकमा, गुप्ता गोदावरी, सती अनुसुइया, हनुमान धारा, पवित्र मंदाकिनी गंगा जैसी तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु वर्ष में करोड़ों लोग आते हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए आपके मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजनाएं जैसे प्रसाद योजना, भारत दर्शन योजना, रामायण पथ योजना आदि के तहत चित्रकूट के समय विकास के लिए आवश्यक धनराशि की मांग लम्बे समय से की जाती रही है, जो हिस्सा चित्रकूट का उत्तर प्रदेश में है वहां के विकास के लिए पूर्व में राशि दी गई थी, किन्तु मध्य प्रदेश सतना जिले के अंतर्गत 75 प्रतिशत हिस्से को कुछ भी नहीं दिया गया।

मैं मांग करता हूं कि चित्रकूट के समय विकास के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जाए तथा राज्य ने जो प्रस्ताव भेजा है उसकी जल्द स्वीकृति कराई जाए।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि चित्रकूट तीर्थ स्थल जो 2 जिलों तथा 2 प्रांतों में स्थित है वहां के प्रसिद्ध संतों की इच्छा है कि भारत सरकार दोनों राज्यों से बात करके एक संयुक्त विकास प्राधिकरण का गठन करें।

(v) Regarding grievances of people displaced due to Tehri Dam Project

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की ओर दिलाना चाहती हूं । टिहरी जिले में स्थित बहउददेश्यीय टिहरी बांध परियोजना से जुड़ी एजेसी सरकारी उपक्रम टीएचडीसी के अन्य सरकारी उपक्रम में विलय किये जाने की खबरों से टिहरी बांध विस्थापितों, प्रभावितों तथा पुनर्वासितों सहित उत्तराखंड के जनमानस के मध्य कई प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो गई है।

टिहरी बांध परियोजना, टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों के हजारों परिवारों के राष्ट्रहित में त्याग का प्रतीक है। अभी तक भी टिहरी बांध के विस्थापित परिवारों की अनेक समस्याओं का समाधान होना शेष है। वहीं परियोजना में पूर्ववर्ती टिहरी स्टेट जो वर्तमान में राज्य का हिस्सा है, के हक हकूकों के बारे में भी निर्णय होना है। हरिद्वार और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ व अर्द्धकुंभ के अवसर पर लगातार सुचारू जलापूर्ति किए जाने में टिहरी बांध रिजर्व जलाशय का योगदान रहता है। पूर्व में भारत सरकार द्वारा गठित हनुमंतराव समिति द्वारा स्वीकृत कई संस्तुतियों जिसमें बांध विस्थापित प्रभावितों को विभिन्न पुर्नवास स्थलों पर निशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने तथा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति करवाने के संबंध में अभी तक कोई योजना नहीं बनी है। जिससे बांध विस्थापित प्रभावित अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की जाए।

(vi) Regarding Pradhan Mantri Awas Yojana in Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का कार्य जो मोदी सरकार ने मिशन मोड पर लिया है यह अत्यंत सराहनीय है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार का सहृदय आभारी हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में अतथा ब वर्गवारी के लाभार्थियों को आवास का आबंटन हो चुका है। किन्तु जिनके नाम ड वर्गवारी में है उनको आवास की मान्यता के लिए रखी शर्तों की वजह से उनके खुद के आवास का सपना अधर में रह सकता है। समय की जरूरतों के अनुसार गरीब लोग मेहनत से कम दामों में किसी अन्य से टू-व्हिलर खरीदकर आजीविका के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, रोजाना मेहनत करक मासिक दस हजार रूपये तक आय कमा लेते है लेकिन आवास बनवाने में मेरे संसदीय जनजाति क्षेत्र में गरीबी के अन्य कारणों की वजह से 5 एकड़ वाला किसान भी आवास नहीं बना पाता ।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ड वर्गवारी लाभार्थियों हेतु कड़ी शर्तों को शिथिल कर उनके खुद के आवास के सपनों को साकार करें।

इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रों में जिन्हें आवास आबंटित हुए है उनके लिए केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को धन का आबंटन किया गया है किंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लाभार्थियों को धन का आबंटन अभी तक नहीं किया है जिससे आवास पूर्णतः तैयार होने में दिक्कतें आ रही है। अतः उक्त संबंध में महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक निर्देश देने की जरूरत है।

(vii) Regarding flood control measures in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): उत्तर प्रदेश राज्य के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां-बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला-छिबरामऊ सहित काफी गांवों की न केवल फसल बर्बाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर वे आवास विहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कृषि उपज बरबाद होने पर जहां उनकी जीविका का सहारा समाप्त हो जाता है, वहीं वे बेघर भी हो जाते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित ग्रामों का उच्चीकरण कराने, पानी का फैलाव रोकने, आवासहीन ग्रामीणों को आवास की व्यवस्था कराए जाने तथा प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ से बचाए जाने हेतु एक बांध मेंहदीघाट से होते हुए राजघाट सड़िया पुल तक केन्द्रीय आबंटन से बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए और जब तक बांध का निर्माण नहीं होता है, तब तक कटान को रोकने के लिए छोटी-छोटी ठोकर बनवाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(viii) Regarding opening of bank branches in Aspirational Districts of Odisha including Bolangir Parliamentary Constituency

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): The people across Aspirational districts of Odisha are facing economic hardships due to severe lack of access to banking facilities. They are not able to take full benefits of Direct Benefit Transfers (DBT) schemes like MGNREGS, Jan Dhan Yojana etc. There are hundreds of unbanked Gram Panchayats in Odisha. Many Gram Panchayats have single bank branch which is unable to meet the demands of the people and has inadequate staff, infrastructure, and facilities. People have to travel several Kilometres to avail basic banking services. Such situations are common across aspirational districts of Odisha.

Considering this grim situation, there is urgent need for augmenting banking coverage to unbanked areas inhabited by tribals in these Aspirational districts which are also affected by Left Wing Extremism.

I urge upon Hon'ble Minister of Finance for opening of bank branches in Aspirational Districts including Bolangir Parliamentary Constituency of Odisha to ensure financial inclusion.

(ix) Regarding irrigation projects under PMKSY in Nandurbar, Maharashtra

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Since 2016-17, 99 on-going major/medium irrigation projects in the country under PMKSY have been prioritized in consultation with States for completion in phases out of which 26 are in Maharashtra. PMKSY guidelines provide for giving priority to projects belonging to aspirational districts. However, not a single irrigation project has been sanctioned for my constituency of Nandurbar whose northern boundary is defined by the great Narmada river and Tapi river also flows through it. Nandurbar receives water from Sardar Sarovar Project and is declared as an aspirational district. Nandurbar is a rural constituency comprising of major tribal population and therefore requires more infrastructure and rural development for its progress. I request the Government to carry a survey and include irrigation projects from Nandurbar under PMKSY in order to build better irrigation facility and infrastructure which will facilitate the holistic development of Nandurbar and its people and achieve the vision of har khet ko pani and doubling of farmers' income.

(x) Regarding establishment of a Sanskrit University at Deoghar, Jharkhand

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Sanskrit is important, and the corpus of scientific, philosophical, sacral, and poetic texts produced in this language is surely one of the richest, probably the richest, contributions to global textual culture ever. Millions of these texts remain unstudied. Sanskrit is a language which through its contents, sonority and mellifluousness, has the power to lift us up above ourselves – it is, as thousands of people would say from their own experience, a potent aid to the formation of character and sense of exaltation, in addition to ensuring a sense of pan-Indian cultural as well as political unity.

The Nobel Laureate physicist, Dr. C.V. Raman, believed that Sanskrit was the only language that could be the national language of India. He said, "Sanskrit flows through our blood. It is only Sanskrit that can establish the unity of the country." Says Sri Aurobindo, "It is of the utmost value to a nation, a human group-soul, to preserve its language and to make of it a strong and living cultural instrument. A nation, race or people which loses its language, cannot live its whole life or its real life."

Deoghar is the unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. This is a religious and, cultural capital of Eastern India which catapults the holy place to an International level and is visited by over 5 crore pilgrims every year and comparatively, having good infrastructure facilities. Hence, I request for a Sanskrit university at Deoghar as it is the best place.

(xi) Need to construct hydro power projects and barrages on rivers flowing through Champaran, Bihar

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ की यातना से ग्रसित है। बिहार के दस जिलों में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है। मीडिया रिपोर्टों में लगभग 6.36 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से बाढ़ के कारण जान – माल की हानि हुई है ।

केंद्र और राज्य की तरफ से बाढ़ ग्रसित इलाके के परिवारों को अनुदान के तहत मदद में ₹6000 प्रति परिवार दिया जा रहा है। साथ ही परिवारों को जान – माल नुकसान के एवज में अलग से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। मोदी सरकार के द्वारा लाभ इन लोगों को सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित परिवार को उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में बाढ़ के समस्या का मुख्य कारण नेपाल में बारिश के मौसम में बड़ी मात्रा में जल छोड़ना है। इससे बिहार का उत्तरी हिस्सा बुरी तरह चपेट में आ जाता है। कोसी, गंडक और बागमती नदी में एकाएक नेपाल द्वारा हजारों लाखों क्यूसेक जल डिस्चार्ज से जलस्तर बढ़ जाता है। बिहार के बाढ़ की स्थिति समझने के लिए बिहार और नेपाल की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा।

समझौता के तहत नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों के सामान्य बहाव और एकाएक जलस्तर ना बढे इसको सुनिश्चित करने के लिए बिहार में जिन छोटी नदियों में संभव हो उसमें मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट / बराज बनाये जाने चाहिए । जैसे मेरे चंपारण में बूढ़ी गंडक, मसान, तिलावे और तियर नदी पर बन जाने से बूढ़ी गंडक के जलस्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि यह सारी नदियां बंजरिया प्रखंड तक आते – आते मिल जाती हैं और बाढ़ की स्थिति को भयावह कर देती हैं । अतः चंपारण में बहने वाली इन नदियों पर मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट / बराज बनाया जाए ।

(xii) Need to set up a medical college in Mahisagar district, Gujarat

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पंचमहल (गुजरात) के महिसागर जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है। मेरा संसदीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है। यदि यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है तो बहुत से लोग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं अपने बच्चों को मेडिकल शिक्षा हेतु बाहर भेजने में असमर्थ हैं, वह भी अपने बच्चों को मेडिकल शिक्षा ग्रहण करा सकते है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि महीसागर जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने की कृपा करें जिससे कि इस जिले को भी मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर किया जा सके।

(xiii) Need to establish Kendriya Vidyalayas in Teonthar and Mauganj tehsils in Rewa district, Madhya Pradesh

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले के त्योंथर और मउगंज तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोला जाय । रीवा ज़िले की आबादी 30 लाख है, और इन तहसीलो की दूरी रीवा से 100 किलोमीटर दूर है जिससे यहाँ के छात्रों को रीवा आने के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः आग्रह है कि इन तहसीलों में अलग से केंद्रीय विद्यालय खोलने की कृपा करे।

(xiv) Need to probe alleged shoddy construction work on NH-24 (Bareilly-Sahjahanpur-Sitapur) and also construct a railway overbridge and an overbridge on the National Highway

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ.प्र.) के अंतर्गत बरेली-शाहजहांपुर-सीतापुर नेशनल हाईवे-24 का निर्माण कार्य चल रहा है। बरसात के दिनों में इस सड़क के निर्माण में कार्यदायी संस्था निर्माण सामग्री के लिए निर्धारित किए गए मानकों को दरकिनार करते हए कथित रूप से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके केन्द्रीय निधि का भारी दुरूपयोग कर रही है।

दूसरे, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी यातायात को दृष्टिगत रखते हुए हुलास नगला के पास रेलवे ओवर ब्रिज और बरेली मोड, शाहजहांपुर मार्ग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र करवाए जाने की आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनरोध है कि वह बरसात के दिनों में उक्त सड़क के निर्माण कार्य को अविलम्ब रोककर निर्माण कार्य में लगी सामग्री की गुणवत्ता की जांच केन्द्रीय तकनीकी समिति से करवाकर दोषी अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उक्त स्थलों पर ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

(xv) Regarding improvement of basic facilities in CGHS Wellness Centre, Tiruchirappalli, Tamil Nadu

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): The CGHS Wellness Centre, Tiruchirappalli caters to large number of serving and retired Central Government employees from Tiruchirappalli and neighbouring areas. In this Centre, only nominal medical check-ups and prescribed medicines are issued. It lacks basic facilities like specialists, radiology, empanelled private hospitals / diagnostic centres, laboratories, etc. on cashless treatment. This leads to a lot of hardships to beneficiaries.

Moreover, the Wellness Centre doesn't have the facility of Indian System of Medicines like Siddha, Ayurveda and alternative systems like Homoeopathy. Many patients prefer to have treatment under these systems for long term illnesses like knee rheumatic problems, asthma, nervous disorders, stomach ailments, etc. and they are left with no alternative.

Therefore, I humbly urge upon Hon'ble Minister of Health and Family Welfare to take necessary steps for improving basic facilities in this CGHS Wellness Centre, empanel major hospitals, diagnostic centres, laboratories and set up AYUSH facility expeditiously.

(xvi) Regarding deaths caused by wild animal in Palakkad district, Kerala

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Many people have lost their lives in Palakkad, due to attacks by wild animals, mainly elephants in human habitation areas. It has become a regular phenomenon in adjoining to forest areas in Palakkad district. Elephants are frequently entering into habitats/farmlands, killing people and destroying their agricultural crops. Nearly 200 elephants have been killed on railway tracks across the country in the last 10 years, which indicates the increased movement of wild elephants into human habitats. Rail fencing along the forest area is the only solution to prevent such wildlife attacks on human beings and destruction of their crops. One of the reasons for wild animals entering into human habitats is because of the scarcity of water and loss of natural vegetation in forests. Therefore, I urge upon the Government to make rail fencing along the forest area in Palakkad district as well as take action to rejuvenate water and natural vegetation in forests.

(xvii) Regarding railway project from Kovvur to Bhadrachalam

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): I would like to bring to your kind notice that there are some new projects which are highly feasible in terms of rate of return and social justice for the Railways which are left behind citing State Government's contribution reflecting no stake or priority for it. Railways should consider new projects that increase profitability, at least, those that uplift backward areas. Kovvur to Bhadrachalam is one such projects which Railways could take up on its own because of huge saving in travel time between Visakhapatnam and Hyderabad and Bhubaneswar and Bangalore.

I request the Hon'ble Minister of Railways to consider its social responsibility in development of new projects especially backwards areas affected by left wing extremists by using Left-wing Extremists Area Development funds instead of depending on State Government's Contribution.

(xviii) Regarding bringing co-operative banks, NBFCs and FMIs under RBI PCA frame work

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI (MACHILIPATNAM): RBI has specified three regulatory trigger points as part of Prompt Corrective Action (PCA) Framework i.e CRAR for Capital adequacy, Net NPAs for Asset Quality and Return on Assets for Profitability. Based on these trigger points, RBI initiates structural and discretionary actions only on commercial banks. But, this has not been extended to co-operative banks, NBFCs and FMIs. If one looks at FDIC PCA Framework, it has prescribed five levels of trigger points based on certain capital measures. During the last six years, RBI has placed 13 public and private banks under the PCA Framework. It is welcome that due to persistent, continuous and sincere efforts of banks to improve their capital ratios, asset quality and profitability, many of these banks have come out of the Framework. I request the Government of India and Finance Ministry to push RBI further so that all banks would come out of PCA Framework and also request to bring co-operative banks, NBFCs and FMIs under this Framework.

(xix) Regarding increasing credit deposit ratio of Odisha by commercial banks operating in the State

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): To drive the economy out of the vicious circle of the pandemic Government of India and RBI have announced a number of packages to infuse adequate liquidity into all key sectors of the economy. But commercial Banks are not delivering adequate credit in Agriculture and allied sector in Odisha. The CD ratio of the State as on 31.3.2021 is only 56 percent which is below the benchmark level of 60 percent as mandated by RBI. Though, the total deposits in the State is growing at 12 percent but the total advance utilised in the State is not increasing above 6 percent over last 5 years. Because of this there would be further fall to even less than 50 percent in the coming financial year which would widen the gap of inequality causing regional disparity and imbalance. The CD ratio for the Public Sector Banks has decreased from 52 percent during 2019-20 to 48 percent in 2020-21.

I would urge upon the Union Government to instruct the banks operating in Odisha for increasing credit deposit ratio of the State to Minimum of 60 percent as stipulated by RBI.

(xx) Need to ensure refund to all the investors who invested their money in PACL Ltd

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): चिट फंड कंपनी PACL (पर्ल्सग्रुप) ने 1983 से सम्पूर्ण भारत में 325 ग्राहक सेवा केन्द्र खोलकर लगभग 6 करोड़ ग़रीब निवेशकों से 49100 करोड़ रूपये इकट्ठे किये, परन्तु सेक्यूरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड आफ इण्डिया (सेबी) द्वारा कंपनी को 22 अगस्त, 2014 को प्रतिबंधित कर दिया गया । बाद में कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को निवेशकों के हित मे फैसला दिया कि कम्पनी की चल – अचल सम्पति बेचकर सभी निवेशकों का भुगतान किया जाये। उसके लिए माननीय पूर्व न्यायधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। परन्तु 60 माह हो जाने के बावजूद सेबी निवेशकों का भुगतान अभी तक नही कर पाई है। अतः सरकार से मेरी ये मांग है कि इस सम्बन्ध में जल्द अपने स्तर से उचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे निवेशकों की खून – पसीने की कमाई उन्हें वापस मिल सके।

(کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، چِٹ فنڈ کمپنی PACL (پرلس گروپ) نے 1983 سے پورے ہندوستان میں 325 کسٹمر کیئر سینٹر کھول کر تقریباً 6 کروڑ غریب سرمایہ کاروں سے 49100 کروڑ روپئے اکٹھے کئے، لیکن سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبی) کے ذریعہ کمپنی کو 22 اگست 2014 کو بین کر دیا گیا۔ بعد میں کمپنی سپریم کورٹ پہنچی اور آنریبل سپریم کورٹ نے 2 فروری 2016 کو سرمایہ کاروں کے حق میں فیصلہ دیا کہ کمپنی کی چل۔اچل پروپرٹی بیچ کر سبھی سرمایہ کاروں کو بھگتان کیا جائے۔ اس کے لئے آنریبل سابق جسٹس آر۔ایم۔ لوڑھا کی صدارت میں کمیٹی بنائی گئی۔ لیکن 60 مہینے بیت جانے کے باوجود سیبی سرمایہ کاروں کا بھگتان ابھی تک نہیں کر پائی ہے۔ اس

لئے سرکار سے میری یہ مانگ ہے کہ اس سلسلے میں جلد سے جلد اپنے لیوِل سے مناسب کاروائی کرنے کی مہربانی کریں جس سے سرمایہ کاروں کی خون پسینے کی کمائی انہیں واپس مل سکے۔

شکریہ

(xxi) Regarding availability of soyabean as a livestock feed

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I would like to state that there is currently crisis of soybean (de-oil cake) meal availability to be used for livestock feed in the country. Because of less availability, prices have gone 300% up creating a huge pressure on the country's dairy farmers, fish farmers, and poultry farmers. Soybean meal prices in neighbouring countries like Nepal, Bangladesh & Sri Lanka are much cheaper than India. It is a matter of big concern for livelihood of our livestock farmers. I have received many representations from various livestock farmers' associations of different parts of the country including my Telangana state requesting to support and save them. In order to ensure Atmanirbhar Bharat and doubling of the farmers' income which is also the aspiration of Hon'ble Prime Minister, we have to support the livestock farmers by allowing 12- 15 lakh Metric Tonnes of soybean meal to save livelihood of crores of farmers of the country.

(xxii) Regarding opening of a central school in Nagapattinam, Tamil Nadu

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Nagapattinam is an old city having long beach area and is famous for its rich history and culture. The town also attracts several pilgrims who come to offer their prayers in the temples located here. Many Govt. offices are located here viz. Fishery Development Department, Port, Naval, Income Tax and University. The employees of these organizations have settled in this city. Due to lack of a central school, the employees are compelled to put their ward in private schools. There is a huge demand from the public for opening a central school in Nagapattinam for the benefit of Central and State Government employees as well as general public. The State Government is willing to allocate suitable land for this purpose.

Hence, I request the Union Minister of Education to consider and sanction the opening of a Central School in Nagapattinam during this financial year 2021-22 itself.

(xxiii) Regarding inclusion of people belonging to certain communities of Assam in the central list of Scheduled Tribes

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): शुरू से ही सरनिया कछारी, मदाहि और ठेंगाल कछारी देश के जनजाति का हिस्सा हैं। लेकिन राजनैतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने उनके ऊपर नकली जनजाति कहके गलत प्रचार, मुकदमा और अपमान करते आ रहे हैं, और इसलिए असम सरकार ने उनको अलग से जनजाति घोषित किया हुआ हैं। लेकिन अभी तक उनके नाम केंद्रीय जनजाति लिस्ट में दर्ज नहीं हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उनको जल्द से जल्द केंद्रीय जनजाति लिस्ट में शामिल किया जाए और उनके संवैधानिक अधिकार उनको दिया जाये।

साथ ही कोच राजबंग्शी, आदिवासी, आहोम, मोरान, मोटोक और चूतिया जंगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा देने का था। मेरा मांग हैं कि इन सभी के औपचारिकता जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। कलिता, नाथ योगी और गोरखा भी जनजाति का मांग कर रहा हैं, अतः उनको भी जनजाति घोषित किया जाए।

(xxiv) Regarding establishment of a permanent regional bench of the Supreme Court at Chennai

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The establishment of a permanent regional Bench of the Supreme Court is very essential to provide ample opportunity for the poor and downtrodden to access the temple of Justice. Access to Justice is not the preserve of the rich, but the right of every person in this great nation. In a vast nation like India, poor people are literally cannot afford and also incapable of reaching the National Capital. New Delhi to pursue their legal options in the Supreme Court. Delegation from the Bar Councils of southern States i.e. Karnataka,Tamil Nadu,Telangana, Andhra Pradesh and Kerala met the Hon'ble Chief Justice of India and the Hon'ble Vice-president and gave their presentation for the creation of permanent Supreme Court Bench in South India.

At present, access to the Supreme Court is affordable to only those who have the financial capacity to reach and afford a lawyer at New Delhi. Therefore, a person who cannot afford, is left without an appellate remedy. Knowing the difficulty of poor people seeking justice, the Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has requested the Hon'ble Prime Minister of India to establish a permanent Regional Bench of the Supreme Court at Chennai. Therefore, I urge the Union Government to establish a permanent Regional Bench of the Supreme Court at Chennai.

14.02 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS ORDINANCE, 2021*

AND

COMMISSION FOR AIR QUALITY MANAGEMENT IN NATIONAL CAPITAL REGION AND ADJOINING AREAS BILL, 2021

HON. CHAIRPERSON: Item Nos. 22 and 23.

Adv. Adoor Prakash…

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Shashi Tharoor …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri M. K. Raghavan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Dean Kuriakose …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran …

… (*Interruptions*)

* Not moved.

HON. CHAIRPERSON: Shri Benny Behanan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammed Faizal P.P. …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Vinayak Bhaurao Raut …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Sudhakaran …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Amar Singh …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. R. Natarajan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. A.M. Ariff …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri T. N. Prathapan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thomas Chazhikadan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri S. Venkatesan …

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV): Respected Sir, with your permission, I beg to move:

> "That the Bill to provide for the constitution of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas for better co-ordination, research, identification and resolution of problems surrounding the air quality index and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

… (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय सभापति जी, हमारी सरकार स्वच्छ पर्यावरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं जो बिल मूव कर रहा हूं, उसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र के वायु क्षेत्र में एयर शैड के माध्यम से जो पॉल्युशन होता है, उस पॉल्युशन के लिए एक संस्थागत रूप से संस्थान देकर, निराकरण और समाधान के लिए दिल्ली को स्वच्छ वायु देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है। … (व्यवधान)

महोदय, हम जानते हैं कि लंबे समय से दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के कारण एडहॉक कमेटियों का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ समय में, जिस प्रकार से दिल्ली में वायु प्रदूषण हुआ और वायु प्रदूषण केवल दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, उद्योग हो या अन्य कारणों से वायु प्रदूषण का विषय हो, एक ऐसा समन्वित, इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन बनाने की आवश्यकता थी, जिस इन्टीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम

एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें ताकि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए संस्थागत स्वरूप दे पाएं। … (व्यवधान) हम इस प्रभावशाली तंत्र को बनाने के लिए ही यह बिल लेकर आए हैं। … (व्यवधान)

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि औद्योगिक उत्सर्जन के कारण और जैव पदार्थों के जलाए जाने के कारण दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण बनता रहा है। इससे पहले भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत केंद्र सरकार को दिया गया था। हम, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है, को रोकने के लिए स्थायी समर्पित और सहभागी तंत्र बनाना चाहते हैं। … (व्यवधान) हमने इस लोक सहभागिता के लिए तय किया है और जो तंत्र बनाया गया है, उसमें एक तरफ प्रशासनिक और एन्वायर्नमेंट की दृष्टि से एक्सपर्ट लोगों को रखा है, इसके साथ ही साथ इस बात का भी प्रावधान किया है, … (व्यवधान) एनसीआर के समीपवर्ती जितने राज्य हैं, उनके प्रतिनिधियों को संस्थान में हिस्सा दिया है। … (व्यवधान)

अतएव मैं आपके माध्यम से यह बिल सदन में मूव करता हूं। … (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है, उसको रोकने के लिए हम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्वाइनिंग एरियाज़ बिल, 2021 लाए हैं। … (व्यवधान) हम दिल्ली के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत अच्छा तंत्र लेकर आए हैं।

हम सभी सदस्य मिलकर इस बिल को पास करके दिल्ली के वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए इस तंत्र की स्थापना करने में मदद करें।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:-

"कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी सूचकांक के आस-पास की समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान हेतु वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग का गठन करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

… (व्यवधान)

Clause 2 Definitions

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 3, --

after "means the areas"

insert "within 500 kilometres". (1)

Page 2, *for* lines 15 and 16, --

substitute '(f) "National Capital Region" means the areas within the radius of 500 kilometres of the States of Haryana, Punjab, Rajasthan, and Uttar Pradesh;'. (2)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

… (व्यवधान)

Clause 3 Constitution of Commission

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 40, --

after "air pollution"

insert "and climate change". (5)

Page 3, for line 25, --

substitute (h) representatives from the Ministry of Earth Sciences and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.". (9)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 10 और 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes. Sir, I beg to move:

Page 2, line 28, --

for "fifteen"

substitute "twenty". (3)

Page 2, lines 29 and 30, --

omit “or having administrative experience of not less than twenty-five years”. (4)

Page 3, line 2, --

after “air pollution”

insert “and environmental protection”. (6)

Page 3, line 9, --

after “construction”

insert “having experience in matters concerning combating of pollution and environmental protection”. (7)

Page 3, *omit* line 25. (8)

Page 3, line 32, --

omit “and notwithstanding any judgement or order of any court,”. (10)

Page 3, lines 34 and 35, --

omit “and no other body, authority, individual or committee shall have any power or jurisdiction in such matters”. (11)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3, 4, 6, 7, 8, 10 और 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

Clause 4 Appointment of Chairperson, Members and Member- Secretary

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes. Sir, I beg to move:

Page 4, after line 8, --

insert "(da) Chief Minister or Ministers-in-charge of the department dealing with environment protection in the National Capital Territory of Delhi and the state of Punjab, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh;". (12)

Page 4, omit lines 10 to 13. (13)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 और 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 6 Terms of Office of Chairperson and Members

माननीय सभापति: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes. Sir, I beg to move:

Page 4, for line 37, --

substitute "age of sixty-five years, whichever Is earlier.". (14)

माननीय सभापति: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 11 Sub-Committees and other staff of Commission

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Yes. Sir, I beg to move:

Page 6, line 9, --

for "medicine"

substitute "herbal medicine". (15)

माननीय सभापति: अब मैं प्रो. सौगत राय, द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 Powers and Functions of Commission

माननीय सभापति: प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 16 से 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY : Yes. Sir, I beg to move:

Page 6, line 36, --

after “co-ordination of actions by”

insert “the Central Government and”. (16)

Page 7, line 27, --

after “service”

insert “to stop illegal construction which causes air pollution”. (17)

Page 9, *omit* line 28. (18)

Page 9, line 31, --

for “stubble burning”

substitute “air pollution”. (19)

माननीय सभापति: अब मैं प्रो. सौगत राय, द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 से 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 31 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

... (व्यवधान)

SHRI BHUPENDER YADAV: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.11 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

15.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Adv. Dean Kuriakose, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : महासचिव ।

… (व्यवधान)

15.30 ½ hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA * …Contd.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

1. "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August, 2021."

---

* Laid on the Table.

2. "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August, 2021."

… (*Interruptions*)

Sir, I lay on the Table the Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021; and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021, as passed by Rajya Sabha on the 4th August, 2021.

… (*Interruptions*)

15.31 hrs

COCONUT DEVELOPMENT BOARD (AMENDMENT) BILL, 2021
(As passed by Rajya Sabha)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 24, माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, नारियल विकास बोर्ड हमारे देश की प्रतिष्ठित संस्था है। हम सब जानते हैं कि देश के बड़े हिस्सों में, चाहे केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, ओडिशा हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, इन सभी परिक्षेत्रों में किसान बड़ी मात्रा में नारियल की खेती करते हैं। इसके लिए नारियल विकास बोर्ड बना हुआ है, लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि नारियल की खेती को और ज्यादा विकसित किया जाए। नारियल के किसानों को विपणन के अनेक अवसर मिल सकें, नारियल का किसान टेक्नॉलोजी से जुड़ सके और उसको पर्याप्त साधन मिल सकें, इस दृष्टि से इस संशोधन विधेयक को लाया गया है। मुझे लगता है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात नारियल की खेती में आमूलचूल परिवर्तन होगा। नारियल के किसान मुनाफे में आएंगे और वे देश के निर्माण में योगदान देने की स्थिति में होंगे।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

... (व्यवधान)

Clause 3

माननीय सभापति : प्रो. सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

Page 2, *for* lines 3 and 4,-

substitute '"(*a*) Executive Chairman, to be appointed by the Central Government: an officer of the rank of Secretary, Government of India in consultation with the State Government, where the headquarter of the Coconut Development Board is located;'. (1)

Page 2, line 6,-

after "Government"

insert ", an Agriculture Scientist, having excellent track record in research in Coconut plantation". (2)

Page 2, line 15,-

for "Andhra Pradesh"

substitute "West Bengal". (3)

Page 2, line 26,-

after "Gujarat,"

insert "West Bengal,". (4)

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

… (व्यवधान)

Clause 4

माननीय सभापति : प्रो**.** सौगत राय, क्या आप संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I beg to move:

Page 2, line 29,-

for "The Chairman"

substitute "The Executive Chairman". (5)

माननीय सभापति : अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

… (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I must state that legislating by coercion instead of discussion has become a new normal of this ruling dispensation much to the disrespect of the democratic institution of our country, that is, Parliament. … (*Interruptions*)

सर, हम लोग चर्चा चाहते हैं। शुरू के दिन से आज तक कह रहे हैं कि गतिरोध को खत्म कीजिए। … (व्यवधान) सर, हम पेगासस पर चर्चा शुरू करना चाहते हैं। पेगासस के बाद सारी चीजों पर चर्चा कीजिए।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो। अगर चर्चा में कोई बाधा बन रहा है तो आप कांग्रेस पार्टी के लोग और अपोजिशन बन रहा है। … (व्यवधान) हम भी चर्चा चाहते हैं। हमने कोविड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा लगा रखी है।… (व्यवधान) हम किसानों के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करना चाहते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 अगस्त, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.36 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 5, 2021/Sravana 14, 1943 (Saka).

———

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)